मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज कॉम्पलेक्स निकट ताजुल मसाजिद भोपाल फोन 0755- 2543175,2737341
[illegible]
[illegible]

फाइल क्रमांक– कृषि भूमि नीलामी / 2026 भोपाल, दिनांक

/ / कृषि कार्य हेतु वक्फ कृषि भूमियों की वार्षिक लीज रेण्ट पर नीलामी की सूचना / /

1. एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड द्वारा पट्टा नियम 2014 संशोधित 2020 के अंतर्गत म.प्र. राज्य अंतर्गत जिला रायसेन तहसील गौहरगंज ग्राम राजमउ स्थित खसरा नंबर **4,7,8,9,33,** रकबा 22.763 हेक्टेयर वक्फ कृषि भूमियों की वार्षिक नीलामी [illegible] कृषि प्रयोजन हेतु कराई जाना है। वक्फ कृषि भूमि वार्षिक नीलामी पट्टे / लीज / किराए हेतु एक वर्ष से तीन वर्षों पर देने की कार्यवाही कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड भोपाल मुख्यालय से खुली बोली के आधार पर की जावेगी। अन्य शर्ते कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड की **website: www.mpwaqfnoard.org** पर देखी जा सकती है। एक सूची म.प्र.वक्फ बोर्ड भोपाल के कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा की जा रही है। यदि इन कृषि भूमियों के संबंध में किसी भी न्यायालय से वक्फ बोर्ड के विरूद्व स्थगन,अथवा कोई निर्णय हो तो संबंधित व्यक्ति / संस्था उपरोक्त सूचना मे दर्शित नीलामी की प्रकिया से पूर्व आकर म.प्र. वक्फ बोर्ड कार्यालय भोपाल को समस्त अभिलेखो सहित लिखित मे अवगत करा सकता है जिससे कि ऐसी सम्पत्तियों को लीज / रेण्ट पर दने की कार्यवाही से संबंधित आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा सके।कृषि भूमियों की नीलामी निम्न तालिका अनुसार की जावेगी:–

क्र.	दिनांक	जिला	वक्फ कृषि भूमि स्थित	खसरा नंबर / रकबा	समय
1	05.05. 2026	रायसेन	ग्राम राजमउ तहसील गौहरगंज जिला रायसेन	4,7,8,9,33 कुल रकबा 22.763 हे	प्रातः 11.00 बजे

नीलामी की शर्ते

2. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्वंय के आधार कार्ड की छाया प्रति साथ लाना अनिवार्य होगा।
3. कृषि भूमि की नीलामी केवल कृषि कार्य हेतु पूर्व में की गई नीलामी राशि के अनुसार निर्धारित न्यूनतम रिजर्व प्राइज राशि रूपए 21,00000 / –(इक्कीस लाख रूपए)से प्रारंभ होगी। बोलीकर्ताओं मे उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को कृषि भूमि पटटे पर दी जावेगी।
4. वक्फ कृषि भूमि की नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को नीलामी की तिथि पर 20,000 / –(बीस हजार रूपए) नकद धरोहर राशि नीलामी से पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. वक्फ बोर्ड को नकद जमा करना अनिवार्य होगा। बोली में असफल व्यक्तियों की धरोहर राशि उसी दिन वापस कर दी जावेगी।
5. नीलामी में सफल व्यक्ति द्वारा किसी कारणवश भूमि लेने में असमर्थता जताई जाती है तो बोली मे सम्मिलित दूसरे सबसे उच्चतम बोली लगाने व्यक्ति को कृषि भूमि आवंटित कर दी जावेगी। यदि दूसरे व्यक्ति द्वारा भी किसी कारणवश भूमि नही ली जाती है तो तीसरे उच्चतम बोलीकर्ता को भूमि आवंटित कर दी जावेगी। सफल बोलीकर्ता द्वारा कृषि भूमि की बोली राशि का 50 प्रतिशत राशि का भुगतान उसी दिन करना अनिवार्य होगा तथा शेष 50 प्रतिशत राशि का चेक अग्रिम दिनांक 31.10.

26 को प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा की स्थिति में नीलामी निरस्त की जा सकेगी तथा तीनों बोलीकर्ताओं की धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी। प्रथम तीन बोलीकर्ताओं में से सफल व्यक्ति द्वारा नीलामी के दिन नीलामी बोली राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करने के उपरांत(चेक प्रस्तुत करने की स्थिति मे चेक का भुगतान प्राप्त होने पर) ही शेष दो व्यक्तियों की धरोहर राशि वापिस की जावेगी।

6. म.प्र. वक्फ बोर्ड द्वारा उसकी कृषि भूमि **"जहाँ है जैसी है"** की स्थिति में नीलामी जा रही है।

7. म.प्र.राज्य वक्फ बोर्ड में इन्द्राज तथा म.प्र. शासन द्वारा राजपत्रित वक्फ कृषि भूमियों को लीज, रैण्ट/ हेतु नीलामी की कार्यवाही की जा रही है । यदि इन कृषि भूमियों के संबंध में किसी भी न्यायालय से वक्फ बोर्ड के विरूद्व स्थगन,अथवा कोई निर्णय हो तो संबंधित व्यक्ति/संस्था उपरोक्त सूचना मे दर्शित नीलामी की प्रकिया से पूर्व आकर म.प्र. वक्फ बोर्ड कार्यालय भोपाल को समस्त अभिलेखों सहित लिखित में अवगत करा सकता है जिससे कि ऐसी सम्पत्तियों को लीज/रेण्ट पर दने की कार्यवाही से संबंधित आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा सके।

8. कृषि भूमियों की नीलामी की कार्यवाही को कराने अथवा निरस्त करने अथवा अन्य कोई भी वैधानिक निर्णय लेने का संपूर्ण अधिकार म.प्र. वक्फ बोर्ड भोपाल के पास सुरक्षित है। म.प्र.वक्फ बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.वक्फ बोर्ड भोपाल